अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी / A-II/NDPS/S-189/2013 / दिनांक :

समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी
.... राजस्थान।

विषय :— चिकित्सक के Prescription के बिना NDPS घटक युक्त औषधियाँ, जिनका दुरूपयोग नशे के रूप में किया जा सकता है, की बिक्री पर कडी निगरानी रखने बाबत।

महोदय,

यह जानकारी में लाया गया है कि कुछ दवा निर्माता कम्पनियां राज्य में NDPS घटक युक्त औषधियों की जो बिक्री कर रही हैं उन्हे थोक विक्रेताओं द्वारा अनाधिकृत रूप से एवं खुदरा दवा विक्रेताओं द्वारा बिना चिकित्सक के Prescription के बेचा जा रहा है, जिसका दुरूपयोग नशे के रूप में किये जाने की जानकारी भी मिली है। विभाग का यह दायित्व है कि समाज में, विशेषकर युवा वर्ग में फैलने वाली इस दुष्प्रवृति कों सख्ती से रोका जावे एवं ऐसे सभी औषधि विक्रेताओं के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमों के तहत की जावे। विशेषकर Codeine युक्त खांसी की दवा, Pantazocine, Buprenorphine, Chlordiazepoxide, Diphenoxylate, Alprozolam, Nitrazepam, Diazepam etc. युक्त preparations पर कडी निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है।

आपके अधिकार क्षेत्र में सप्लाई होने वाली उक्त दवाओं के बिक्री के संबंध में दिनांक 30.12.2013 से 29.01.2014 तक विशेष अभियान चलाकर कम से कम 20 ऐसी दवा विक्रय संस्थानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट करें जहां पर उक्त दवाओं का व्यापार किया जाता है, की गयी कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा श्री अशोक भण्डारी, औषधि नियंत्रक करेंगे, अतः सूचना तदनुसार ई–मेल से भी भिजवायें।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डीसी / A-II/NDPS/S-189/2013 / 614 दिनांक : 27/12/13
प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर।
4. श्री अशोक भण्डारी, औषधि नियंत्रक, जयपुर।
5. समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों को भेजकर लेख है कि ऐसे प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त कार्यवाही कर की गई कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें एवं पत्र को सभी संबंधितों को ई–मेल भी करें।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

D:\Akhilesh Ji\Letter.doc